छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(अमिताभ जैन)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

1.	विभाग का नाम	:	वित्त विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	श्री भूपेश बघेल
3.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	:	अध्यक्ष– मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

अपर मुख्य सचिव	:	श्री अमिताभ जैन
सचिव	:	डॉ. कमलप्रीत सिंह
अपर सचिव	:	श्री सतीश पाण्डेय
संचालक बजट	:	श्रीमती शारदा वर्मा
संयुक्त सचिव	:	1. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	2. डॉ. ए.के. सिंह
उप सचिव	:	1. श्री विनीत नंदनवार
	:	2. श्री आर.के. सिसोदिया
अवर सचिव	:	1. श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का
	:	2. श्री मोतीराम खुंटे
	:	3. श्री सुरेश कुमार वर्मा
	:	4. श्री राजशेखर शर्मा
	:	5. श्री ऋषभ पाराशर
	:	6. श्री अरविंद कुजूर
	:	7. श्री महेश साकल्ले
	:	8. श्री सीताराम तिवारी
	:	9. श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री राघवेन्द्र कुमार

<u>विभागाध्यक्ष</u>

1.	संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	:	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी
2.	संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	:	श्री इमिल लकड़ा
3.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	श्री विनीत नंदनवार
4.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्रीमती शारदा वर्मा
5.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	:	श्री आशीष कुमार भट्ट

विषय–सूची

क्र.	अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रशासकीय विभाग**	वित्त विभाग	**1 से 8 तक**
2.	**विभागाध्यक्ष**	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	**9 से 20 तक**
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	**21 से 28 तक**
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	**29 से 33 तक**
		4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	**34 से 35 तक**
3.	**निगम**	5. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	**36 से 37 तक**
4.	**आयोग**	6. तृतीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग	**38**

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 विभागीय भूमिका :– छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशो/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 से 33 तक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

नियम 11 (एक) कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो –

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

(तीन) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जावेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं.

(चार) उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिये.

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में निविर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

नियम –26 वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यो का प्रभारी रहेगा :–

(एक) वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा.

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिये तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा.

(तीन) वह, करो, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा.

(चार) वह, राज्य द्वारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह, ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा.

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिये समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रेखे जाते हैं.

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

(सात) वह, बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में –

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगी,

''परन्तु यह कि योजना व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय योजना विभाग से परामर्श किया जायेगा और ये प्राक्कलन यथा संभव उस विभाग द्वारा सुझाए गए आबंटन के अनुसार होंगे, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो तो उन्हें, योजना विभाग की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट रूप से परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा.''

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिये, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इन्कार करेगा,

(घ) वह, विधानमण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष तथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्यान्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिये या आगे व्यय नहीं करने के लिये अपेक्षा करेगा.

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निदेश देगा.

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा.

नियम –27 ऐसे किसी पुनर्विनियोग को, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, मंजूर करने वाले किसी भी विभाग द्वारा पारित समस्त आदेशों की प्रतियां, आदेशों के पारित होते ही, उक्त विभाग को भेजी जाएगी.

नियम –28 विशेष रूप से तथा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित विषय राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विषय समझे जायेंगे –

(क) व्यय के लिये विनियोजित किए जाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत रकम से अधिक व्यय करना

(ख) लोक–धन से या भविष्य निधि के निक्षेप से किसी शासकीय कर्मचारी को अग्रिम मंजूर करना

(ग) किराया–मुक्त रियायत मंजूर करना

(घ) विभाग द्वारा निवृत्ति वेतन या अनुकम्पा भत्ते मंजूर करना

(ड.) वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से बनाये गये किसी नियम को शिथिल करना

(च) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर प्रभावित व्यय के रूप में घोषित करने के लिये या किसी ऐसे व्यय की रकम में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव

(छ) शासन के ऋणी स्थानीय निकायों के बजट की पुष्टि करने संबंधी मामले

(ज) भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार को विनियमित करने वाले नियमों का कोई भी उपांतरण

(झ) विषय से संबंधित नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार के लिये प्रस्ताव

(त्र) उद्योग को राज्य सहायता या तकाबी अग्रिमों की मंजूरी को विनियमित करने वाले अधिनियमों या नियमों में कोई भी सारभूत उपांतरण

(ट) कर–निर्धारण प्रणालियों में यह विद्यमान कराधान, भू–राजस्व या सिंचाई देयों के उच्चतम परिमाण (पिच) में कोई सारभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

नियम –29 कार्य नियम 11 द्वारा विहित परामर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये गये उसके मत, उस विभाग के, जिसका कि वह मामला हो, अभिलेख में दर्ज किए जायेंगे और वे उस मामले के अभिलेख के भाग होंगे.

नियम –30 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री उस मामले के संबंध में, जिसमें कार्य नियम 11 (एक) या (तीन) में उल्लिखित कोई विषय अन्तर्वलित हो, कोई भी कागज–पत्र मंगवा सकेगा और वह मंत्री, जिससे ऐसी मांग की गई हो, कागज –पत्रों को भेजेगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन मांगे गए कागज–पत्रों की प्राप्ति पर वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री यह निवेदन कर सकेगा कि उक्त कागज–पत्र, उन पर उसकी टिप्पणी सहित, परिषद् को प्रसतुत किए जाएंगे.

नियम –31 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री किसी भी अन्य विभाग से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकेगा, जिसे वह वित्त विभाग उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे.

(2) वित्त विभाग का भार साधक मंत्री, समस्त विभागों में सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभाग के कार्य को और अन्य विभागों का वित्त विभाग के साथ संव्यवहार को विनियमित करने के लिये नियम उस सीमा तक बना सकेगा जहां तक कि ऐसे नियम वित्त विभाग को किसी भी अधिनियम या उचित प्राधिकार के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों द्वारा उसको सौंपे गए

कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्थ बनने के लिए अपेक्षित हों और अन्य विभागों के भारसाधक मंत्री यह देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके विभागों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है.

नियम –32 ऐसे किसी प्रस्ताव की छानबीन करते समय, जिस पर कार्य नियम, 11 या किसी सहायक नियम के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया गया हो, उस विभाग का ऐसी स्थिति में यह बताना कर्तव्यस्थ होगा जबकि प्रस्ताव में किसी वित्तीय सिद्वांत का या वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित प्रनियमों में से किसी भी प्रनियम का उलंघन अन्तर्वलित हो –

(एक) प्रत्येक लोक अधिकारी को शासकीय धन से किये जाने वाले व्यय पर वैसी है सतर्कता बरतरी चाहिए, जैसी सतर्कता एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है.

(दो) कोई भी प्राधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिये नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता हो.

(तीन) शासकीय धन का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के किसी वर्ग के फायदे के लिये तक तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि –

(1) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो, या

(2) रकम का दावा किसी न्यायालय में प्रवर्तित न किया जा सकता हो, या

(3) व्यय मान्य नीति या परम्परा के अनुसरण में न हो.

(चार) भत्तों की रकम, जैसे यात्रा भत्ते, जो कि किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय के पूरा करने के लिये मंजूर की गई हो, इस प्रकार विनियमित की जाय कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्ति कर्ता के लाभ के साधन न हो जायं.

नियम –32–क अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 32 के अधीन वित्त विभाग को परामर्श के लिये भेजे गए प्रत्येक मामले में वह विभाग अधिकतम पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपने मत के साथ उसे विभाग को लौटाएगा. यदि इस समयावधि में मामला वापिस करना संभव न हो तो वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मामले में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से चर्चा कर मामले के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेंगे.

नियम –33 वित्त विभाग को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि विशिष्ट विभागों में व्यय की लेखा–परीक्षा को प्राप्तियों की लेखा –परीक्षा द्वारा किस सीमा तक सहायता पहुंचाई जाए.

टिप्पणी – वित्त विभाग द्वारा कार्य नियम के अधीन किए गए प्रत्यायोजन तथा बनाए गए नियम वित्त विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए गए हैं।

संरचना :–

बजट कार्य के लिए विभाग में 5 बजट शाखाएं (संसाधन शाखा सहित) है, इन बजट शाखाओं के मध्य विभागावार बजट बनाने का कार्य आंबटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है । प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/ अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत /परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है । राज्य संसाधन शाखा में शासन के ऋणों का संधारण, पुर्नभुगतान एवं प्रबंधन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। वित्त आयोग (केन्द्रीय एवं राज्य) प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग को वांछित जानकारी तैयार कर प्रेषित करने, राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन (मेमोरेण्डम) तैयार करने एवं अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अनुसंगिक कार्यवाही संपादित की जाती है।

वित्त विभाग का दायित्व एवं कार्य :–

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन सहित सभी कमिटेड खर्चो की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना विभाग का दायित्व है । इसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

(1) लोक –कल्याणकारी योजनाओं एवं कमिटेड खर्चो हेतु आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना

(2) बजट संसाधनों में दर्शित लोक ऋणों की प्राप्ति, उनके भुगतान एवं राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मदेनजर लोक ऋणों का समुचित प्रबंधन

(3) अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु समुचित प्रयास

(4) विधानसभा से बजट पारण एवं सर्वसंबंधित विभागों को व्यय हेतु बजट आबंटन जारी करना

(5) शासकीय राशि का मितव्ययितापूर्ण एवं गुणवत्तापरक व्यय सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करना

(6) राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना

(7) राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना

(8) केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य की ओर से केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिए मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना

(9) राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का विस्तार

(10) छत्तीसगढ़ राज्य के निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही।

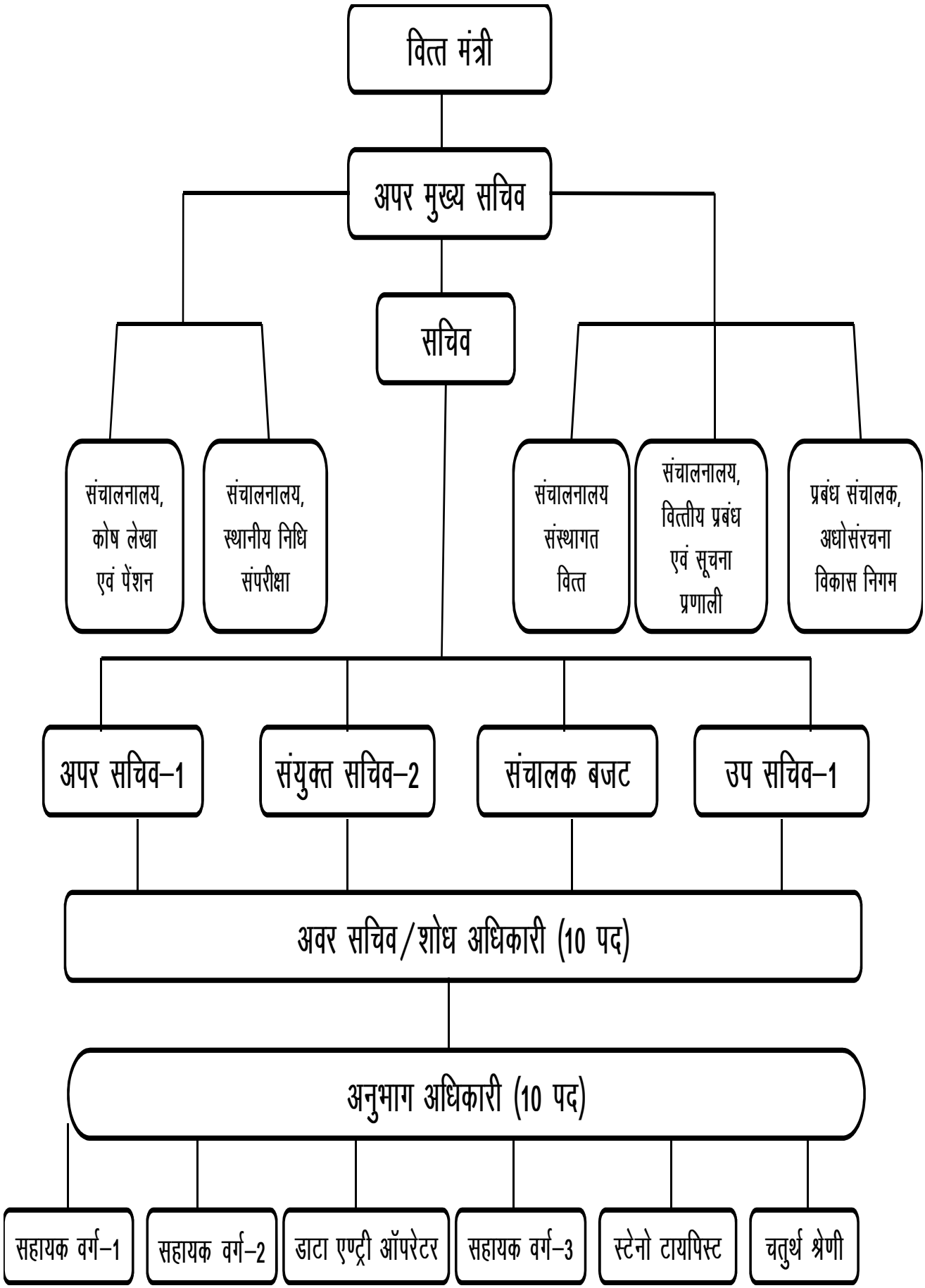
वित्त मंत्री
अपर मुख्य सचिव
सचिव
संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन
संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
संचालनालय संस्थागत वित्त
संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली
प्रबंध संचालक, अधोसंरचना विकास निगम
अपर सचिव–1
संयुक्त सचिव–2
संचालक बजट
उप सचिव–1
अवर सचिव/शोध अधिकारी (10 पद)
अनुभाग अधिकारी (10 पद)
सहायक वर्ग–1
सहायक वर्ग–2
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
सहायक वर्ग–3
स्टेनो टायपिस्ट
चतुर्थ श्रेणी

मंत्रालय सेटअप अनुसार वित्त विभाग के लिए स्वीकृत सेटअप की जानकारी निम्नानुसार है :–

पदनाम	7वें वेतनमान में लेवल	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	1
सचिव/विशेष	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	1
अपर सचिव	16	1
संयुक्त सचिव	15	3
उप सचिव	14	
शोध अधिकारी	13	1
अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	13	9
अनुभाग अधिकारी	11	10
सहायक वर्ग–1	9	19
सहायक वर्ग–2	6	18
डाटा एन्ट्री आपरेटर	6	2
सहायक वर्ग–3	4	38
स्टेनो टायपिस्ट	4	1
दफ्तरी	2	12
भृत्य	1	
योग		**117**

वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष /निगम/आयोग

1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन
2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
3. संचालनालय, संस्थागत वित्त
4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली
5. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास लिमिटेड
6. वित्त आयोग प्रकोष्ठ

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर

भाग–एक

सामान्य जानकारी

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप हुई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं।

1.2 अधीनस्थ कार्यालय :–

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ आडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय 28 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1.3 स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, आडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार हैः–

क.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
02	वित्त नियंत्रक	लेवल – 16		01
02	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	08
04	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	27
05	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	34
07	प्रोग्रामर	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	31
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	516
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	लेवल – 11	तृतीय श्रेणी	01
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	07
13	सहायक ग्रेड–1	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	92

14.	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	234
15.	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	297
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	39
17.	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	14
18.	दफ्तरी	लेवल – 02	चतुर्थ श्रेणी	33
19.	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	159
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर		08
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर		32
22.	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर		37
योग				**1580**

आडिट प्रकोष्ठ

क.	**पदनाम**	**सातवां वेतनमान में लेवल**	**श्रेणी**	**स्वीकृत पद**
1	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
3	सहायक संचालक	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	08
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	16
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	02
6	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	08
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	08
9	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	04
10	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	05
	योग			**60**

1.4 मुख्य कर्त्तव्य :–

1.4.1 कोष प्रचालन :– छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 27 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय अटल नगर रायपुर तथा 40 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.4.2 कोष निरीक्षण :– राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.4.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :– राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.4 संवर्ग प्रबंधन :– राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग–1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1.4.5 लेखा प्रशिक्षण :–राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

1.4.6 अंशदायी पेंशन योजना :– छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01.11.2004 के पश्चातनव नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना में 31.12.2018 तक कुल 2,41,249 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

1.4.7 ऑडिट प्रकोष्ठ :– आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है ।

1.5 उपलब्धियां :–

1.5.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :–

माह नवम्बर 2000 से नवम्बर 2018 तक की स्थिति में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया :–

01.	पेंशन प्रकरणों की संख्या	–	102318
02.	वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या	–	2206507

पेंशन से संबंधित जानकारी एवं सुविधाप्रदाय करने हेतु ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम **''आभार आपकी सेवाओं का''** वित्त निर्देश 28/2018 द्वारा मई 2018 से लागू किया गया है जो https://cgpension.nic.in/ पर उपलब्ध है। आभार के अंतर्गत पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है जिसके तहत् पेंशनरों की समस्याओं का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 24/2007 के द्वारा 01.01.1996 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य किया गया एवं वित्त निर्देश 52/2017 द्वारा 01.01.2016 के पश्चात् सेवा निवृत्त/दिवंगत

शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने की स्थिति में समीक्षा प्रत्येक माह किया जा रहा है।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन निर्धारण की जॉच अनिवार्य तौर पर की गई है, ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके।

1.5.2 अंशदायी पेंशन योजना

01. दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात् राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एक नई परिभाषित ''अंशदान आधारित पेंशन योजना'' लागू है। मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है । छ.ग. राज्य द्वारा दिनांक 19.09.2008 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अपनाया गया है। इस योजना में 31.12.2018 तक कुल 2,41,249 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

02. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु अभिदाता CSRF आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर जिला कोषालय से ऑनलाईन PRAN(Permanent Retirement Account Number) आबंटन की कार्यवाही की जाती है। संचालनालय द्वारा PRAN को एम्पलाई आईडी के साथ ई–कोष साफ्टवेयर में अपडेट किया जाता है। PRAN के किसी विवरण में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो Annexure-S2 फार्म में जानकारी भर कर संबंधित जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

03. एन.पी.एस. खाते का प्रकार – अ. टियर–1 गैर–निकासी योग्य खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान देगा। **ब.** टियर–2 स्वैच्छिक बचत सुविधा, अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से अपनी बचत वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

04. PRAN **खाते में अंशदान जमा की प्रकिया** – वेतन से कटौती किये गये अभिदाता के अंशदान को लोक लेखा शीर्ष 8342 एवं उसके समतुल्य नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 से आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक एवं नियोक्ता का अंशदान चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष 8342 में जमा किया जाता है तथा इस शीर्ष से अंशदान को आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

05. हितधारी – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित हितधारी निम्नानुसार हैं–

अ– एन.पी.एस. के अंतर्गत निधि के विनियमन का कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

ब– एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक नियुक्ति किया गया है ।

स– कस्टोडियन–स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)

द– राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस.डी. एल. की सेवाएँ ली जा रही है।

ई– फण्ड मैनेजर – एस.बी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड रिटायरमेंट साल्यूशन लिमिटेड, यूटीआई, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड

06. लाभ –

i. मोबाइल एप्प (NPS by NSDL e-gov) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट में लॉग इन करके त्वरित रूप से एनपीएस खाते से संबंधित विवरण

ii. सेवा का क्षेत्र बदलने पर पेंशन निधि में जमा राशि PRAN खाते के साथ स्थानातरित करने का लचीलापन

iii. **कर्मचारियों को कर लाभ**– अभिदाता अपने टियर–1 खाते में जमा राशि पर निम्नानुसार कर लाभ प्राप्त कर सकता है–

(क) कर्मचारियों का अपना अंशदान धारा 80 सीसीई की 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर, धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कर में छूट

(ख) नियोक्ता का अंशदान– धारा 80 सीसीडी(2) के तहत बिना किसी सीमा के कर में अतिरिक्त छूट

(ग) कर में अतिरिक्त छूट – अतिरिक्त अंशदान करने पर 80 सीसीई के 1.50 लाख की सीमा के अलावा कर में अधिकतम रूपये 50,000/– की छूट 80 सीसीडी 1(ठ) के तहत प्राप्त होगी

(घ) पुरानी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवक भी e-NPS के माध्यम से टियर–1 में प्रान खाता खोलकर 80 सीसीडी 1(ठ) के अंतर्गत टैक्स में अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते है।

07. आंशिक आहरण –योजना के न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्यता पश्चात् अभिदाता पूरे सेवा काल के दौरान गृह निर्माण, अधिसूचित स्वास्थ्य समस्याओं एवं बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह हेतु अधिकतम 3 बार स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत राशि का आंशिक आहरण कर सकता है फार्म 601pw । (वित्त निर्देश 58/2017)

08. निकासी

निकासी का प्रकार	अधिकतम एकमुश्त राशि	न्यूनतम वार्षिकी कय	100: निकासी हेतु अधिकतम जमा	आवेदन फार्म
सेवानिवृत्ति	60%	40%	**2 लाख**	101GS
सेवात्याग	20%	80%	**1 लाख**	102GP
मृत्यु	20%	80%	**2 लाख**	103GD

09. डिफरमेंट – अभिदाता वार्षिकी क्रय हेतु न्यूनतम राशि को 03 वर्ष के लिए तथा अधिकतम एकमुश्त आहरण योग्य राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प यदि चाहे तो दे सकता है । इस हेतु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 15 दिन पूर्व इस आशय का सूचना देना होगा ।

10. वार्षिकी क्रय (Annuity Service Providers)– वार्षिकी क्रय हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि का वार्षिकी क्रय करने हेतु निम्न सेवा प्रदाता अधिकृत हैं –

i. Life Insurance Corporation of India
ii. HDFC Life Insurance Co. Ltd
iii. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd
iv. SBI Life Insurance Co. Ltd
v. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd

11. ऑन लाईन शिकायत (Grievance)– अभिदाता को PRAN खाते से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो उसके द्वारा स्वयं अथवा डीडीओ के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

12. दिसंबर 2018 तक ट्रस्टी बैंक ''एक्सिस बैंक'' को योजना की कुल राशि 4361.93 करोड (शब्दों में–तिरालीस अरब इकसठ करोड़ तिरान्वे लाख) स्थानांतरित किया जा चुका है।

1.5.3 पेंशनर कल्याण कोष :–

राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मण्डल गठित है, मण्डल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है।

राज्य गठन के पश्चात पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटनाग्रस्त होने होने की स्थिति में एवं श्रवण यंत्र, दंत व चश्मा के प्रकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष गठित है।

पेंशनर कल्याण कोष में कुल प्राप्त राशि रू. 91,10,000.00 में से मार्च 2001 से नवम्बर 2018 तक 556 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में 61,71,911/– स्वीकृत किये गये है।

1.5.4 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :– राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय–व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज–लाईन एवं व्ही.पी.एन/ब्रॉडबैण्ड के माध्यम से ऑनलाईन नेट–वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय–व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में **''ई–कोष''** लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट, ई–कर्मचारी, ई–पेरोल, ई–पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है।

वर्तमान में दिनांक 01.04.2017 से पूर्णतः केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था **साईबर ट्रेजरी** प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नया रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिला एवं उपकोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय–व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

1.5.5 ई–चालान की सुविधा :– राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इंद्रावती कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रिानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी. एफ.सी. बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जावेगा ।

1.5.6 ई–पेमेंट :– भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई–पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/Vendors/Suppliors) को रू. 5,000.00 या इससे अधिक का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। **भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से ई–पेंमेट प्रांरभ करने का कार्य प्रकियाधीन है।** शीघ्र ही राज्य शासन के समस्त प्रकार के भुगतान का कार्य भारतीय रिर्जव बैक के ई–कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

1.5.7 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :– वित्तीय वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्य विभागों के लिए प्रचलित साख–पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई–कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है।

1.5.8 विभागीय निरीक्षण :– कोषालय संहिता अनुभाग–03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 06 संभागीय कोषालय, 22 जिला कोषालय, 02 लेखा प्रशिक्षण शाला एवं 40 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, संभागीय जिला कोषालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण रोस्टर निम्नानुसार है :–

क्र.	माह वर्ष 2018–19	कार्यालय का नाम		
		संभागीय संयुक्त संचालक का नाम	जिला कोषालय का नाम	उपकोषालय का नाम
1	अप्रैल 2018	–	बलरामपुर	सारंगढ़
2	मई 2018	दुर्ग	महासमुन्द	–
3	जून 2018	–	सूरजपूर/कोरिया	देवभोग
4	जुलाई 2018	अंबिकापुर	अंबिकापुर	पत्थलगांव
5	अगस्त 2018	–	जिला कोषालय रायपुर/ इन्द्रावती कोषालय, अटल नगर रायपुर	साजा
6	सितम्बर 2018	रायपुर	दंतेवाड़ा	–
7	अक्टूबर 2018	बिलासपुर	बिलासपुर	बगीचा
8	नवम्बर 2018	–	दुर्ग	–
9	दिसम्बर 2018	–	रायगढ़	घरघोड़ा
10	जनवरी 2019	जगदलपुर	जगदलपुर	डोंगरगढ़
11	फरवरी 2019	–	सुकमा	भानुप्रतापपुर

1.5.9 विभागीय परीक्षाऐं :– संचालनालय द्वारा आयोजित लेखा प्रशिक्षण शाला की परीक्षाऐं अपरिहार्य कारणों से स्थगित रहा है।

छ.ग. लोक सेवा आयोग से चयनित छ0ग0 राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 तथा छ0ग0 अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 में परीक्षा वर्ष 2018 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :–

छ0ग0 राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	योग
अप्रैल–2018 (दि. 13.4.2018 से 17.4.2018)	114	01	–	01	01	–	01

छ0ग0 राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	योग

अप्रैल–2018 (दि. 13.4.2018 से 20.4.2018)	117 से 128	20	–	20	–	20	20
जून–2018 (दि. 29.6.2018 से 05.7.2018)	129 से 149	21	–	21	–	–	21

छ0ग0 अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	योग
जून–2018 (दि. 29.6.2018 से 04.7.2018)	331 से 373	42	01	42	–	–	42

छ0ग0 अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	योग
जून–2018 (दि. 29.6.2018 से 04.7.2018)	137 से 165	29	–	29	–	–	29

1.5.10 ऑडिट प्रकोष्ठ :– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र कमांक 923/782/2013/स्था./चार दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (आडिट प्रकोष्ट) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा छ.ग. शासन के समस्त कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन कार्य संपादित किया जावेगा ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के रोस्टर अनुसार 132 विभागाध्यक्ष/जिला कार्यालयों के लेखाओं का अंकेक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना है, जिसमें से दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 64 कार्यालयों का अंकेक्षण किया जा चुका है, शेष कार्यालयों का अंकेक्षण माह–मार्च 2019 तक पूर्ण किया जावेगा।

1.5.11 सामान्य भविष्य निधि Unpost Credit, Unpost Debit, Dormant Account, Fullwant, partwant :–

प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण	रिमार्क
665247	437371	227876	प्रकियाधीन

महालेखाकार कार्यालय द्वारा अगवत कराया गया है कि सामान्य भविष्य निधि Unpost Credit, Unpost Debit, Dormant Account, Fullwant, partwant के उपरोक्तानुसार लंबित प्रकरणों के निराकरण के फलस्वरूप 01 अप्रैल 2018 से 15 जनवरी 2019 की अवधि में राशि 39.89 करोड़ से अधिक का समायोजन किया जा चुका है।

भाग–दो –बजट एक दृष्टि में–
बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

वित्त वर्ष 2018–19 दिनांक 14.12.2018 की स्थिति में

मांग संख्या–06–2054–राजकोष और लेखा प्रशासन राशि रूपये में

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	(3843)	लेखा प्रशिक्षण शाला	8840000	4780420
2	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन	167460000	105062196
3	(4307)	संभागीय स्थापना	87000000	47482342
4	(8904)	ऑडिट प्रकोष्ठ	22900000	14891831
5	(7919)	छ.ग. लोक वित्त प्रबंधन	100000000	0
6	(1026)	खजाना स्थापना	426290000	251690137
		योग 2054	**812490000**	**423915266**

मांग संख्या–06–2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

7	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	10000	0
		योग 2235	**10000**	**0**

मांग संख्या–06–2071–पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

8	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	4900000000	4847007683
		योग 2071	**4900000000**	**4847007683**

मांग संख्या–06–2885–उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय

9	(4843)	अधो संरचना विकास निगम	110000000	55000000
		योग 2885	**110000000**	**55000000**
		महायोग	**5822500000**	**5325922949**

मांग संख्या– मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज संदाय (राशि रूपये में)

स. क.	योजना	योजना का नाम	वर्ष 2018–19 हेतु प्रावधान	वर्ष 2018–19 का व्यय राशि
1	4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	250000000	178342000
2	4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	700000000	439592000
3	4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	60000000	38839000
4	6802	पारिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	100000	0
		योग–2049	**1010100000**	**656773000**

भाग–तीन

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

भाग–चार– सामान्य प्रशासनिक विषय :– निरंक ।

भाग–पांच – अभिनव योजना

01. राज्य में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम **''आभार आपकी सेवाओं का''** माह मई–2018 से राज्य में लागू किया गया है। इस सिस्टम के तहत् पेंशन भुगतान अदायगी आदेश ऑनलाईन जारी किया जा रहा है एवं पेंशनरों को कोषालय में उपस्थित होने की पूर्व प्रक्रिया को समाप्त किया गया है।

02. वर्तमान में प्रचलित ई–कर्मचारी सॉफ्टवेयर में शासकीय सेवकों की बहुत सी जानकारियों को समय के साथ अद्यतन करने के उद्देश्य से **संशोधित ई–कर्मचारी मॉड्यूल** तैयार किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में कुछ नवीन थ्पमसके जोड़कर और अधिक व्यवस्थित किया गया है तथा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। साथ ही ई–पेरोल सॉफ्टवेयर को ई–कर्मचारी मॉड्यूल से लिंक किया जा रहा है ताकि दोनो की जानकारियों में एकरूपता हो।

03. राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान **''ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाईनल पेमेंट सिस्टम''** – ''आभार –आपकी सेवाओं का'' के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस सिस्टम के तहत् सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र ऑनलाईन जारी किया जायेगा। जिससे सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान त्वरित रूप से हो सकेगी ।

04. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारी/कर्मचारी का वेतन एवं अन्य स्वत्वों तथा शासकीय क्रय हेतु वेंडरों को किये जा रहे समस्त भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में **ई–पेमेंट** के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही उक्तानुसार बैंक खातों में अंतरित की जा रही राशि की सूचना भी ैडै के माध्यम से संबंधित को प्रदाय की जाती है। जो राशि वेंडर के सीधे खाते में जमा किया जाना संभव नहीं होता है उस राशि को संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चाालू खाते में अंतरित किया जाता है।

भाग–छः– विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशनः– निरंक ।

भाग–सात– अन्य विवरण

समूह बीमा योजना –

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे। किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन से समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय–व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है। इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया ।

वर्तमान में 01.07.2017 से समूह बीमा योजना के अभिदान कटौत्रा राशि में पुनः 50 प्रतिशत वृद्धि की कार्यवाही शासन स्तर पर की गयी है । जिसमें प्रथम श्रेणी के शासकीय सेवकों का कटौत्रा 480/–, द्वितीय श्रेणी 360/–, तृतीय श्रेणी 300/– एवं चतुर्थ श्रेणी का कटौत्रा 180/– किया गया है।

परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है। उक्त योजना के अधीन सिर्फ सेवानिवृत्ति/ सेवापृथक की स्थिति में बचत निधि पर तिमाही चक्रवृद्वि ब्याज सहित तथा मृत्यु की दशा में बीमा राशि देय होती है।

———000———

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, अटल नगर, रायपुर

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है। प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 (31 दिसबंर 2018 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चात्वर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय–समय पर विशेषतः निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।

2. स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में स्थापित हैं। संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 377 पदों का सृजन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	64
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	36
कुल पद संख्या		**377**

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	–
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	–
3	संयुक्त संचालक	03	03	0	–
4	उप संचालक	07	05	02	–
5	सहायक संचालक	24	24	0	–
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	83	68	15	–
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	–
8	अधीक्षक	01	01	0	–
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	–
10	सहायक अधीक्षक	01	0	01	–
11	सहायक ग्रेड 1	01	0	01	–
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	–
13	सहायक संपरीक्षक	165	73	92	–
14	लेखापाल	01	0	01	–
15	सहायक ग्रेड 2	13	11	02	–
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	9	02	07	–
17	सहायक ग्रेड 3	23	17	06	07 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	–
19	वाहन चालक	05	05	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है। 01 पद पर कले. दर से कार्यरत है।
20	भृत्य	23	14	09	06 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
21	चौकीदार (अस्थाई)	06	05	01	–
योग		**376**	**231**	**145**	

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 12452 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है जिनमें 10971 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. प्रशिक्षण –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :–

1. भंडार क्रय नियम, निविदा प्रक्रिया, भंडार का अपलेखन एवं अंकेक्षण तथा ळम्ड द्वारा क्रय की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण ।

2- Computer Training For Modern office Managrment And e-kosh and online Bill Submission.

3. Cyber security विषय पर प्रशिक्षण ।

4. सूचना के अधिकार के संबंध में व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण।

5. आंतरिक एवं वैधानिक लेखा परीक्षण प्रशिक्षण ।

6. प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल ।

4. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 18 एवं धारा ''क" के अंतर्गत इस संचालनालय के निम्नलिखित कार्यालयों के लिए क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसार नामांकित किये गये हैं–

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी – श्री बी.एस. भगत संयुक्त संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा,
2. लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पद नाम –

क.	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी
1.	संचालनालय, नया रायपुर	सुश्री भारती सिंह राजपूत, सहायक संचालक
2.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	श्री एस.एस. ताण्डेय, उप संचालक
3.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	श्री पीयूष प्रसाद, उप संचालक
4.	क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव	श्री जी.के.पुर्रे, उप संचालक
5.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	श्री विकास माहेश्वरी, सहायक संचालक
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	श्री सी.आर. देवहारे, उप संचालक
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	श्री विनय ठाकुर, सहायक संचालक

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग में प्राप्त ओवदनों का यथा समय निराकरण किया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 01 आवेदन प्राप्त हुआ, वर्तमान तक प्रक्रियाधीन है।

5. जनकार्य दिवस की स्थिति :–

अ वित्तीय वर्ष 2017–18 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2017 को अवशेष	2017–18 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2017–18 में संपादित कार्य	31.03.2018 को अवशेष
582172	84719	666891	24658	642233

टीप–1. नवीन निकायों के गठन/उन्नयन के कारण वर्ष 2018–19 की मांग में परिवर्तन दृष्टिगत है।

2. क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ के पत्र क्रमांक/डी.डी.एल.एफ.ए/ज.का.दि./2018/701 रायगढ़ दिनांक 10.07.2018 के अनुसार 01.04.18 को अवशेष जनकार्य दिवस लिया गया।

ब वित्तीय वर्ष 2018–19 (31.12.2018 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2018 को अवशेष	2018–19 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2018–19 में संपादित कार्य (31.12.2018 तक)	31.12.2018 को अवशेष
642382	81214	723596	16142	707454

6. संपरीक्षा शुल्क :–

अ. 2017–18 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2017–18 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2018 तक)	दिनांक 31.03.2018 को अवशेष
195168252	74389521	269557773	52211764	217346009

ब. 2018–19 (31 दिसम्बर 2018 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2018–19 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2018 तक)	दिनांक 31.12.2018 को अवशेष
217346009	13483929	230829938	23666673	207163265

7. संपरीक्षा प्रतिवेदन :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 (31 दिसम्बर 2018 तक) में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

अ वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थीः–

01.04.2017 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2017–18 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2017–18 में प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2018 को प्रसारण हेतु अवशेष
74	879	953	890	63

ब वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :–

01.04.2018 को अवशेष	2018–19 में (31.12.2018 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2018–19 में (31.12.2018 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2018 को प्रसारण हेतु अवशेष
63	1181	1244	1108	136

8. निराकृत आपत्तियां :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 (31 दिसम्बर 2018 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थीः–

अ. वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
287815	26888	314703	16250	298453	196208470550

ब. वित्तीय वर्ष 2018–19 (31 दिसम्बर 2018 तक) की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
298453	34722	333175	2308	330867	208787108762

9. **स्थानीय निकायों के आय–व्यय** –

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय–व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहेः–

(राशि रूपये में)

अ	वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्थिति में :–	
	आय –	163434106339.00
	व्यय –	77974560569.00
ब.	वित्तीय वर्ष 2018–19 (31.12.2018) की स्थिति में	
	आय –	24049766907.00
	व्यय –	77471042885.00

10. प्रभक्षण :–

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :–

दिनांक 31.12.2018 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि रूपये
1757	90330506.00

11. अधिभार :–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ. वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्थिति में :–

क	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रूपये	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रूपये
1	अधिभार आरोप पत्र	37	2292702	3	34	2243443
2	अधिभार सूचना	38	4253964	4	37	4184953
3	अधिभार आदेश	42	1894462	19	23	1508854
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	38	459333	3	35	396033

ब. वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में :–

क	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रूपये	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रूपये
1	अधिभार आरोप पत्र	19	429597	0	19	526401
2	अधिभार सूचना	13	1048192	4	25	1443222
3	अधिभार आदेश	39	764570	1	26	433135
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	39	470217	12	24	173013

19. राजस्व मांग वसूली :–

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2018–19 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2017–18 में राशि रूपये 2351785252.00 तथा वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 399768702.00 (31.12.2018 तक) वसूली हेतु शेष थी।

20. अग्रिम :–

अ. वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 378282583.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु शेष रहा।

ब. वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 89927527.00 समायोजन/वसूली हेतु शेष है।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया।

21. ऋण :–

अ. वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 43347232726.00 का ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष था।

ब. वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में (दिनांक 01.04.18 से 31.12.2018) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रूपये 122626526.00 ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष है ।

22. अनुदान :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/ विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि रूपये 15923326219.00 अवशेष होना पाया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.04.18 से 31.12.2018) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि रूपये 8007431339.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

23. निक्षेप :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रूपये 410501276.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.04.18 से 31.12.2018) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रूपये 61552873.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

भाग – दो

बजट :–

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये राशि रूपये 23.00 करोड़ आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2018 तक कुल राशि रूपये 12.33 करोड़ व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

1. निरीक्षण :–

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :–

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षों की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशतः निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया।

3. अंकेक्षण के दौरान वसूली :–

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि रूपये 1060773.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

———000———

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, चतुर्थ तल, अटल नगर, रायपुर

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रधान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूंकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, अतः संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 137 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पें ान योजना (ए.पी.वाय.) का भुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनो महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अगस्त 2018 तक पी.एम.जे.जे.बी.वाय. के अंतर्गत 10.78 लाख, पी.एम.एस.बी.वाय. के अंतर्गत 48.37 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत राज्य के 1.47 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है।

अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज की सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. किसान विकास पत्र 9 वर्ष 4 माह में राशि दुगुनी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 8.7 प्रतिशत मासिक ब्याज दर
8. लोक भविष्य निधि खाता में डेढ़ लाख की वृद्धि कर दी गई, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति एवं पी.पी. एफ. एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख–रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

संचालनालय का प्रशासकीय ढ़ॉचा–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान लेवल	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	01	–
2.	अतिरिक्त संचालक	15	01	01	–

3.	संयुक्त संचालक	14	01	01	—
4.	प्रोग्राम आफिसर	14	01	01	—
5.	सहायक संचालक	12	01	01	—
6.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	12	01	—	01
7.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	9	01	—	01
8.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	9	04	04	
9.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9	01	01	—
10.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	7	01	01	—
11.	सहायक ग्रेड–01	7	01	01	—
12.	लेखापाल	6	01	—	01
13.	सहायक वर्ग–2	6	02	02	—
14.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	6	03	03	—
15.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	5	02	02	—
16.	सहायक ग्रेड–3	4	03	03	—
17.	वाहन चालक	4	03	03	—
18.	भृत्य	1	03	02	01
19.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	01	—
	योग		**32**	**28**	**04**

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। प्रोग्राम आफिसर, स्टेनोग्राफर वर्ग–3, भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

भाग–2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्ध कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकडे लाख रू. में) (30 नवम्बर 2018 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	**वेतन भत्ते आदि #01**	143.80	49.35	94.45
02	**मजदूरी #02**	3.50	1.58	1.92
03	**यात्रा भत्ता #03**	16.50	0.14	16.36
04	**कार्यालय व्यय #04**	28.90	3.26	25.64
05	**प्रशिक्षण #05**	1.10	0.00	1.10
06	**व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां #10**	9.00	5.34	3.66

07	अनुरक्षण पर व्यय #24 एवं उपकरण	3.20	0.18	3.02
	योग–	206.00	59.85	146.15

<u>ब.</u>

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
2435–अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख रू. में) (30 नवम्बर 2018 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	22,00.00	11,98.25	10,01.75

<u>स.</u>

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
7836–अल्प बचत

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकडे लाख रू. में) (30 नवम्बर 2018 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	110.65	67.73	42.92
02	यात्रा भत्ता #03	1.05	0.26	0.79
03	कार्यालय व्यय #04	6.00	1.09	4.91
	योग–	117.70	69.08	48.62

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :–

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। जून, 2018 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1278, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 729 एवं शहरी क्षेत्रों में 772 कुल 2,779 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंकों को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध जून, 2018 में 61.68% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध जून, 2018 में 53.93% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध जून, 2018 में 17.72% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम जून, 2017 में रु 13,827.10 करोड़ के विरुद्ध जून 2018 में 15,377.88 करोड़ हुआ है। यह वृद्वि 11% हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम जून, 2017 में रूपये 19,581.46 करोड़ के विरूद्ध जून, 2018 में

रूपये 22,629.65 करोड़ हुआ है, जो कि 15% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 10% के विरूद्ध जून, 2018 में 16.52% हुआ है।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 27 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। संचालनालय द्वारा स्टेट क्रेडिट प्लान 2018–19 तैयार किया गया है, जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है।

भाग–4

बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–

शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु. 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से **दिसम्बर, 2018** की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु. **25,68,615.92** जमा है।

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़

महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छ.ग. कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

वर्ष 2018–19 में कार्यालय की गतिविधियांः–

वर्ष 2018–19 का बजट अनुमान तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018–19 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2018–19 का तृतीय अनुपूरक अनुमान तथा वर्ष 2019–20 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

संगठनात्मक ढांचाः–

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पद	श्रेणी / संवर्ग	पद संख्या	वेतन लेबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	–
2.	अपर संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	15
3.	संयुक्त संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	14
4.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	13
5.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	12
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	12
7.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	8
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	6
11.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	01	7
12.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	01	7
13.	सहायक ग्रेड–02	तृतीय श्रेणी	01	6
14.	सहायक ग्रेड–03	तृतीय श्रेणी	03	4
15.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	04	4
16.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	1

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2018–19)

31 नवंबर, 2018 की स्थिति में (राशि रुपये में)

कमांक	मुख्य शीर्ष	योजना कमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	1,24,06,000	77,02,777

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2018 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
(1)	**(2)**	**(3)**
1	**1**	**निरंक**

———000———

छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर 492001

सामान्य जानकारी

(1) गठन का उद्देश्य

सी.आई.डी.सी. का गठन, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में 26 फरवरी, 2001 को किया गया था। इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण–पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ। शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी रूपये 10.00 करोड़ रखी गयी है। मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रुप में तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन, रखरखाव, प्रबधंन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिये प्रवर्तक, सलाहकार, प्रायोजक व प्रबधंन सेवा प्रदाता के रुप में कार्य करेगा।

(2) संगठनात्मक ढॉचा

सी.आई.डी.सी. में निम्नानुसार मूल अमला कार्यरत् हैः–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत् पद
1.	प्रबधं संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबधंक	2	1
3.	प्रबधंक	2	–
4.	प्रबधंक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	–

(3) क्रियाकलाप

सी.आई.डी.सी. द्वारा वर्ष 2003 से मुख्यतः विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास का ही कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 884 कर्मचारी विभिन्न विभागों/निगमों/मंडलों आदि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जबकि 18 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है। विघटित परिवहन निगम के 22 कर्मचारी परिसमापन संबंधी कार्य कर रहे हैं।

सी.आई.डी.सी. द्वारा आई.आई.एम., अहमदाबाद के साथ पी.पी.पी. परियोजनाओं हेतु मानव संसाधन प्रदाय करने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिस पर आगामी कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय

सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रावधानित रूपये 1100.00 लाख में से दो त्रैमास की राशि रूपये 550.00 लाख का आहरण किया गया है, जिसके विरूद्ध लगभग रूपये 577.00 लाख का व्यय हो चुका है। तृतीय त्रैमास की राशि रूपये 275.00 लाख का आहरण प्रक्रियाधीन है।

———000———

तृतीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8–9 (पार्ट)/ 2016/वित्त/वि.आ.प्र. दिनांक 20.01.2016 द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, के ज्ञाप क्रमांक 28/12/2016/वि.आ.प्र./चार, दिनांक 29.03. 2016, द्वारा 27 अस्थाई पदों के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया था

राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य

राज्य में स्थानीय निकायों के अंर्तगत 10,971 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत, 27 जिला पंचायत, एवं 168 स्थानीय नगरीय निकायों में 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका परिषद तथा 111 नगर पंचायतें हैं।

उपरोक्त स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों तथा सभी स्तरों के निकायों के बीच आबंटन को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों की अनुशंसा करने के लिए निर्देश है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के संबंध में अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है, आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों के बारे में सुझाव देना है।

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को दिनांक 28 सितम्बर, 2018 सौंपा गया है। राज्य शासन द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर संबंधित प्रशासकीय विभागों से अभिमत प्राप्त कर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन मंत्रि–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रि–परिषद् के अनुमोदन उपरांत आयोग का प्रतिवेदन एवं राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के पटल पर अनुमोदन हेतु रखा जाएगा एवं तत्पश्चात् राज्य शासन की अधिसूचना के माध्यम से आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

आयोग को वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू.28.00 लाख बजट प्रावधान कर आबंटित किया गया है तथा रू.31.50 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायें गये है। आयोग का कार्यकाल दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त हो गया है। आयोग द्वारा उक्त कुल राशि 59.50 लाख के विरूद्ध रू.52.00 का व्यय किया जा कर शेष राशि राज्य शासन को वापस की गई है।

———000———